ग्राम पंचायत गवैला, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गवैला, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रेम सिंह	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती सरोज	23.1.16 से निरन्तर

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	1.4.14 से 28.2.17
2	श्री ओम प्रकाश	1.3.17 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत गवैला के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.02
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न	–

		करना	
3	5 (क)	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.48
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	5.63
5	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करना	3.43
6	8	क्रय सामग्री की भण्डार प्रविष्टियाँ न करना	2.56
7	9	मस्ट्रोल के बिना मजदूरी का भुगतान	0.29
8	10	स्टोर/स्टॉक का संदिग्ध क्रय	0.07

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत गवैला, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार क0ले0प0 द्वारा दिनांक 17.10.17 से 24.10.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	03/15	12/14
2015—16	01/16	04/15
2016—17	03/17	03/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत गवैला, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला—9

को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 24.10.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गवैला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत गवैला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत गवैला द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	222293.58	17741	240034.58	38361	201673.58
2015–16	201673.58	29432	231105.58	40085	191020.58
2016–17	191020.58	29778	220798.58	28729.50	192069.08

अनुदानः– ग्राम पंचायत गवैला द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	94005.40	1331240	1425245.40	1310676	114569.40
2015–16	114569.40	975283	1089852.40	863981	225871.40
2016–17	225871.40	2086979	2312850.40	1749830	563020.40

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.02 लाख का अन्तरः–

स्वः स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही का अन्तशेष	192069.08
अनुदानः–	
दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	563020.40
प्राप्त अनुदान राशियाँ जिनकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई	
(i) दिनांक/माह 12/15 में प्राप्त बैंक खाता संख्या 3241 में अनुदान	(+) 49000
(ii) खाता संख्या 3241 में दिनांक 30.3.15 को जमा ब्याज जिसकी रोकड़ प्रविष्टि नहीं की गई	(+) 5791
कुल योग/रोकड़ बहियों का वास्तविक शेष	809880.48
बैंक खातों का दिनांक 31.3.17 को शेष (संलग्न विवरण **परिशिष्ट–II)**	808103.24
अन्तर	1777.24

समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में ₹1777.24 कम जमा पाये गए तथा अन्तशेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001 दिनांक 23.10.17 द्वारा सचिव को निर्देश दिए गए, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक खातों का मिलान नहीं किया गया। अतः अन्तर के कारणों की जाँच करते हुए खातों का मिलान किया जाये अन्यथा बैंक में कम जमा राशि को उत्तरदायी से वसूली उपरान्त बैंक खाते में जमा करवाए जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत गवैला की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 (क) पचांयत राजस्व ₹0.48 लाख वसूली हेतुः–

पंचायत की स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹47500 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत गवैला के क्षेत्र में ऐयरसेल कम्पनी का टावर स्थापित है तथा पंचायत द्वारा इसकी स्थापना से अद्यतन तक कोई फीस प्राप्त नहीं की गई है। अतः टावर की स्थापना की तिथि से अद्यतन तक टावर फीस की वसूली करना सुनिश्चित करें।

6 **अनुदान ₹5.63 लाख का उपयोग न करनाः–**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–I** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹563020 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान के स्वीकृति पत्रों की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित करें अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹3.43 लाख के स्टॉक का क्रयः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) तथा 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–IV** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹343156 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 **₹2.56 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट VI** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹255810 की क्रय की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टियाँ नियमानुसार

G.P. Gawella

भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 मस्टर रोल तैयार किये बिना ₹0.29 लाख की मजदूरी का भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के 102 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गये सभी विकासात्मक कार्यों के लिए श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान, पंचायत द्वारा जारी किये गए मस्टर रोल के आधार पर किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न मामलों में पूरे कार्य की मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल तैयार किये बिना एक ही व्यक्ति को कर दिया गया, जोकि अनियमित तथा आपत्तिजनक है जिस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	कार्य का विवरण	भुगतान पानें वाले का नाम	राशि
1	74 माह 03 / 17	वाउड़ी की मुरम्मत	श्री सुका राम	18500
2	105 माह 03 / 17	–यथोपरि–	श्री बसन्त सिंह	10500
			कुल योग	**₹29000**

10 ₹0.07 लाख के स्टोर / स्टॉक का संदिग्ध क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने सभी भुगतान वाउचर पर आधारित होने चाहिए तथा प्रत्येक वाउचर के समर्थन में भुगतान प्राप्त करने वाले दावेदार द्वारा जारी बिल का संलग्न होना अनिवार्य है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न मामलों में वाउचरों के साथ संलग्न बिलों में वस्तु का नाम, मात्रा दर आदि का कोई उल्लेख नहीं है तथा जिसके अभाव में स्टॉक प्रविष्टि भी नहीं की गई है। अतः अधूरे बिलों पर आधारित, भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इस ₹7000 की वसूली उचित स्त्रोत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	बिल संख्या / माह	राशि
1	78 माह 03 / 17	40 दिनांक 16.1.17	3000
2	82 माह 03 / 17	41 दिनांक 16.1.17	3000
3	99 माह 3 / 17	35 दिनांक	1000
		कुल योग	**7000**

G.P. Gawella

11 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पचांयत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाये।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत भी करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

G.P. Gawella

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत गवैला के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 39/2017—खण्ड—1—2053—2056 दिनाँक 23.03.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत गवैला विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881